रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2019/पौष 21, 1940
No. 11] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2019/PAUSHA 21, 1940

द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

सीडब्ल्यूआर (1) 2018.—कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स विनियम, 1959 में आगे संशोधन करने के लिए कुछ विनियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद् (इसके बाद इसे परिषद् कहा गया है) कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे प्रभावित होने वाली संभावित जनता के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, और एतदद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उपर्युक्त अधिसूचना के मसौदे पर भारत के राजपत्र, जिसमें विनियमों का यह मसौदा प्रकाशित किया गया है और जनता को उपलब्ध कराया गया है, की प्रतियाँ जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त विनियमों के मसौदे के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव देने का इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्ति अथवा सुझाव ऊपर उल्लिखित अवधि के अंदर परिषद् के विचारार्थ लिखित में सचिव, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए भवन, 12, सदर स्ट्रीट, कोलकाता – 700016 को भेज सकता है।

मसौदा विनियम

1. (1) इन विनियमों को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाएगा

(2) ये सरकारी राजपत्र में अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

2. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 7 के उप-विनियम (6) में:- "छ: माह" को "आठ माह" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

एल. गुरुमूर्ती, सचिव (कार्यवाहक)

[विज्ञापन-III/4/असा./487/18]

टिप्पणी: मूल विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और इन्हें प्रथम बार 25 मई, 1959 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 611 द्वारा अधिसूचित किया गया था और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था-

(1) दिनांक 8 मई, 1969 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (2)/69

(2) दिनांक 25 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (2)/70

(3) दिनांक 22 जनवरी, 1972 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (2)/70

(4) दिनांक 6 जनवरी, 1981 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1)/81

(5) दिनांक 31 जनवरी, 1989 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1)/88

(6) दिनांक 25 सितंबर, 1993 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1)/93

(7) दिनांक 26 जून, 2002 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1)/2002

(8) दिनांक 27 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1)/2002

(9) दिनांक 17 नवंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1)/2008

(10) दिनांक 6 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (3)/2008

(11) दिनांक 4 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1)/2010

(12) दिनांक 25 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1)/2012

(13) दिनांक 29 नवंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1)/2013

(14) दिनांक 29 नवंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (2)/2013

(15) दिनांक 12 नवंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1)/2014

THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2018

CWR(1) 2018.— The following draft of certain regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, which the council of the Institute of Cost Accountants of India (hereafter referred to as the Council) proposes to issue in exercise of the power conferred under sub-section(3) of section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), for the information of public likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which these draft regulations are published are made available to the public.

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same in writing for consideration of the Council within the period so specified above to the Secretary, The Institute of Cost Accountants of India, CMA Bhawan, 12, Sudder Street, Kolkata – 700 016.

Draft Regulations

1. (1) These regulation may be called the Institute of Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 2018

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Institute of Cost and Works Accountants Regulations, 1959, in sub-regulation (6) of regulation 7:- for the words “six months”, the words “eight months” shall be substituted.

L. GURUMURTHY, Secy. (Acting)

[ADVT.-III/4/Exty./487/18]

Note : The Principal regulations were published in the Gazette of India were first notified vide number G.S.R. 611 dated the 25th May, 1959 and subsequently amended vide-

(1) Notification Number CWR (2)/69 dated 8th May, 1969

(2) Notification Number CWR (2)/70 dated 25th May, 1970

(3) Notification Number CWR (2)/70 dated 22nd January, 1972

(4) Notification Number CWR (1)/81 dated 6th January, 1981

(5) Notification Number CWR (1)/88 dated 31th January, 1989

(6) Notification Number CWR (1)/93 dated 25th September, 1993

(7) Notification Number CWR (1)/2002 dated 26th June, 2002

(8) Notification Number CWR (1)/2002 dated 27th March, 2003

(9) Notification Number CWR (1)/2008 dated 17thNovember, 2008

(10) Notification Number CWR (3)2008 dated 6th April, 2009

(11) Notification Number CWR (1) 2010 dated 4th February, 2011

(12) Notification Number CWR (1) 2012 dated 25th May, 2012

(13) Notification Number CWR (1) 2013 dated 29th November, 2013

(14) Notification Number CWR (2) 2013 dated 29th November, 2013

(15) Notification *Number CWR (1) 2014 dated 12th November, 2014*

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.01.14 12:54:06 +05'30'